

पॉलिसी: कम्पनी से सैंपल एवं चिठ्ठी या पत्र भेजना

पॉलिसी संख्या: 43

पॉलिसी जारी करने की तारीख - 08/06/2021

आखिरी संशोधन की तारीख - 11/08/2021

किस पर लागू है - कम्पनी के सभी कर्मचारियों पर

पॉलिसी में पेजों की कुल संख्या - 1

कम्पनी से सैंपल एवं चिठ्ठी या पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित बातों का पालन किया जाएगा:

- 1- कोई भी पत्र / पार्सल भेजने के लिए उन्हें गेट पर सुरक्षा कर्मचारियों के पास अच्छे से पैक करके ही रखेगा।
- 2- डेली रनर अगले दिन गेट से वह सामान एकत्र करेगा।
- 3- रनर इन पत्रों/पार्सल को लेकर नजदीकी डाकघर से पोस्ट करेंगे। सभी स्थिति में उस शहर के मुख्य डाकघर का ही इस्तेमाल करें।
- 4- रनर रसीदें जमा कर एकाउंट्स से भुगतान की गई राशि का दावा करेंगे।
- 5- जिन मामलों में डिलीवरी शीघ्र होने की आवश्यकता होती है, ऐसे मामलों में निजी कोरियर सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- 6- सेल्स टीम भी जल्द से जल्द सैम्पल्स अपने पास इकट्ठा करेंगी और फिर उन्हें एक बार गेट पर जारी करेगी क्योंकि रनर के लिए भारी वजन उठाना मुश्किल होगा।
- 7- किसी भी कोरियर सेवा प्रदाता की स्वीकृति परचेज़ फार्मूले के आधार पर होगी।
- 8- कोई भी पैकेट बनाते समय कोशिश करें कि पैक किए गए पार्सल का वजन 250 ग्राम के गुणन में ही रहे।

उदाहरण के लिए, 1020 ग्राम वजन वाले पार्सल की कीमत 1.250 ग्राम के बराबर होगी, इसलिए इसे या तो 1 किलो से थोड़ा कम या जरूरत पड़ने पर 1.25 के करीब लेना सबसे अच्छा है।

ok Approved

एच-आर प्रमुख द्वारा लिखित



ok Approved

मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत